संग अभियान [illegible] ग्राम पंचायत मुख्यालय [illegible] के निदेश प्रदान किये गये है। [illegible] पत्रावली के समस्त पक्षकारान को जारी सूचना पत्र सूचित किया जावें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही ग्राम पंचायत [illegible] में दिनांक 01/11/21 को पेश हो।

पत्रावली प्रश्नगत पक्षों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट [illegible] में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सूचना पत्र वाद/आदम तामील प्राप्त कर है। जो शा. फा. है। पत्रावली में आवश्यक [illegible] मौजिर/नहीं। पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की गई। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 16/12/21 को न्यायालय में पेश हो।

PD
प्राप्त की
1.11.2021

16/12/21
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 10/2/22 को पेश हो।

10/2/22
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनाक 21/4/22 को पेश हो।

21/4/22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। मौका का मुआयना से मौका विसंगति लेख-चित्र विसंगति जरिये पत्रांक 484/13/4/22 से प्राप्त हुई जिसमें जरिये आया की वादी द्वारा वादपत्र में चाहा गया अनुतोष प्रतिवादी सं0 1 को बिक्रयी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष वादी ग्राम विक्रय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद 53 R.T.A./155 के कार्यवाही योग्य नही रहने से वादी का वाद स्वाधीन किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार मेरी पत्रावली निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.05.31 11:31:33 IST
Reason: SelfAttested